सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 5959 / 1014 / 2016 दिनांकः– 29.03.2017

के मामले में:

श्री शशिकान्त रंजन, R194
द्वारा – विक्रांत रंजन (सिविल जज),
ग्राम – खुरा पोस्ट – बरवाडीह,
जिला – लातेहार, झारखण्ड – 822111 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

बीईएमएल लिमिटेड, R195
द्वारा – महाप्रबन्धक (मानव संसाधन),
बीईएमएल सौधा, 23 / 1, चौथा मेन रोड,
एस आर नगर,
बैंगलोर–560027 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 02.02.2017

उपस्थितः
1. शिकायतकता अनुपस्थित ।
2. श्री पवन कुमार, क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रतिवादी की ओर से ।

KK

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री शशिकांत रंजन जोकि 55 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत बीईएमएल लिमिटेड में रिक्तियों के अनुरूप नियुक्ति नहीं होने तथा नियुक्ति कार्य में अनियमितता बरतने से संबंधित शिकायत दिनांक 16.02.2016 इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि बीईएमएल लिमिटेड ने विज्ञापन संख्या केपी / एवस / 03 / 2015 द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत कई पदो के लिए विज्ञप्ति दी थी । उनके अनुसार इस विज्ञापन में रिक्तियों के अनुरूप नियुक्ति नहीं की जा रही है । उनके द्वारा साक्षात्कार में निर्गत सूची और अंतिम परिणाम की सूची में भी विभिन्नता देखी जा सकती है । यह दिव्यांग व्यक्तियों के विशेषाधिकार का हनन है ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 30.06.2016 के द्वारा उठाया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 01.08.2016 द्वारा निवेदन किया कि सहायक अधिकारी के पद के लिए दिव्यांगजनों के लिए अधिसूचित की गई थीं, जिनमें से 01 रिक्ति ओएच के लिए तथा 03 रिक्तियां एचएच के लिए आरक्षित थीं । सभी 04 अभ्यर्थी जोकि पात्रता की शर्तें पूरी कर रहे थे, उन्हें साक्षात्कार हेतु शार्ट सूचीबद्ध किया गया था और सभी 04 अभ्यर्थियों ने दिनांक 30.10.2015 को साक्षात्कार में भाग लिया। तथापि, साक्षात्कार समिति द्वारा विज्ञापित पदो के लिए 02 अभ्यर्थी उपयुक्त पाए गए और शिकायतकर्ता उपयुक्त नहीं पाया गया ।

5. शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 10.08.2016 द्वारा निवेदन किया कि वह प्रतिवादी द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है । उसने आवेदित पद सहायक अधिकारी (वस्तु प्रबंधन) के लिए सभी अनिवार्य योग्यता को पूर्ण रूप से पूर्ण किया है, फिर भी चयन समिति को वह उक्त पद के लिए योग्य नहीं लगा, यह बड़े ही अचरज का विषय है । 4 वर्षों के कार्यानुभव को अनदेखा कर दिया गया । साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को उनके निवास–स्थान से साक्षात्कार स्थल तक आने एव जाने का यात्राा भत्ता दिया गया परन्तु मेरा यात्राा भत्ता लगभग 7000/– रूपए अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । इस विषय में बीईएमएल लिमिटेड का भेदभाव का चरित्र साफ–साफ देखा जा सकता है । अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय पर गौर करते हुए निदान किया जाए ।

6. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 01.08.2016 एवं शिकायतकर्ता के टिप्पण/रिज्वाइंडर दिनांक 10.08.2016 के मद्देनज़र मामले की सुनवाई दिनांक 15.11.2016 को निर्धारित की गई ।

7. दिनांक 15.11.2016 को कटिहार, बिहार से लौटते हुए रेलगाड़ी के विलम्ब से चलने के कारण मुख्य आयुक्त की अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

8. मामले में अगली सुनवाई दिनांक 02.02.2017 को 1600 बजे सुनिश्चित की गई और दोनों पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि स्वयं अथवा किसी सक्षम प्रतिनिधि (प्रतिवादी की ओर से समूह 'क' के स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं) अथवा किसी अधिवक्ता, जो मामले की पूरी जानकारी रखते हों, सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ उपरोक्त समय पर सरोजनी हाउस, 6 भगवान दास रोड, नई दिल्ली स्थित इस न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हों ।

9. दिनांक 02.02.2017 को शिकायतकर्ता की ओर से सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के कार्यवाहियों के अभिलेख दिनांक 30.12.2016 द्वारा स्पीड डाक से भेजी गई थी ।

10. प्रतिवादी ने निवेदन किया कि साक्षात्कार समिति द्वारा विज्ञापित पदो के लिए 02 दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपयुक्त पाए गए और शिकायतकर्ता उपयुक्त नहीं पाया गया । इसलिए इनका चयन नहीं हो सका । प्रतिवादी ने यह भी निवेदन किया कि कार्मिक और प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार आरक्षण रजिस्टर बनाया गया है और आरक्षित रिक्तियों की कार्मिक और प्रशासनिक विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार गणना की जाती है । उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गई कंप्यूटराइज़ड रेलवे टिकटों की प्रतियां प्रस्तुत कीं । उन्होंने आगे निवेदन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा इन चार कंप्यूटराइज़ड टिकटों में हेर–फेर की गई हैं, इसलिए शिकायतकर्ता को इसकी अदायगी रोक दी गई थी । उन्होंने प्रमाण के तौर पर यात्रा भत्ता फार्म की प्रति प्रस्तुत की जिस पर प्रतिवादी ने हस्ताक्षर सहित यह लिखकर दिया है कि उनके यात्रा भत्ते पर विचार न किया जाए ।

11. प्रतिवादी को सुनने एवं उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का यह संप्रेक्षण है कि इस मामले में दिव्यांगजन अधिनियम की किसी धारा का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है । इसलिए प्रतिवादी को कोई निर्देश दिए बिना मामले का निपटारा किया जाता है ।

12. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

(कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन